

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी नवलगढ़ जिला झुन्झुनू

पीठासीन अधिकारी - जयसिंह

(आर.ए.एस.)

मुकदमा नम्बर 196/2022 & GCMS NO. 2022/590

दायर दिनांक -20-12-2022

उमेश कुमार मोर पुत्र स्व. श्री नन्दलाल जाति महाजन उम्र 74 वर्ष निवासी कस्बा नवलगढ़ तहसील नवलगढ़ जिला झुन्झुनू हाल आबाद मकान नम्बर 28 न्यू इंडिया हाउसिंग सोसायटी 11, एन.एस. रोड जेवीपीडी स्कीम, मुम्बई-400049 जरिये मुख्तार निरज कुमार मोर पुत्र श्री उमेश कुमार मोर जाति महाजन निवासी कस्बा नवलगढ़ तहसील नवलगढ़ जिला झुन्झुनू हाल आबाद मकान नम्बर 28, न्यू इंडिया हाउसिंग सोसायटी 11, एन.एस. रोड जेवीपीडी स्कीम, मुम्बई-400049

—वादी

बनाम

1. प्रदीप कुमार पुत्र स्व. श्री राधाकिशन मोर जाति महाजन निवासी 38ए, गरचा फस्ट लेन, कोलकाता।
2. रमेश कुमार पुत्र स्व. राधाकिशन मोर जाति महाजन निवासी 118, नेशनल सोसायटी बनेर रोड अनुध पूणे
3. आदित्य मोर पुत्र स्व. मोहन कुमार मोर जाति महाजन निवासी 38ए, गरचा फस्ट लेन, कोलकाता।
4. अश्वनी मोर पुत्र स्व. मोहन कुमार मोर जाति महाजन निवासी 38ए, गरचा फस्ट लेन, कोलकाता।
5. चित्रा मोर पत्नी स्व. मोहन कुमार मोर जाति महाजन निवासी 38ए, गरचा फस्ट लेन, कोलकाता।
6. भगवाना पुत्र चन्द्राराम जाति माली निवासी बलवन्तपुरा तहसील नवलगढ़ जिला झुन्झुनू राजस्थान।
7. लादूराम पुत्र चन्द्राराम जाति माली निवासी बलवन्तपुरा तहसील नवलगढ़ जिला झुन्झुनू राजस्थान।
8. उप-पंजीयक नवलगढ़ तहसील नवलगढ़ जिला झुन्झुनू राजस्थान।
9. राजस्थान सरकार जरिये लैण्ड होल्डर तहसील तहसील नवलगढ़ जिला झुन्झुनू राजस्थान।

—प्रतिवादीगण

वकील वादी : - श्री विकास सैनी व उमेश पुरोहित  
वकील प्रति. :- एकपक्षीय

दावा : इस्तकरारहक, दुरुस्ती रिकॉर्ड,  
विधिवत विभाजन व स्थाई निषेधाज्ञा

—:: निर्णय ::—

दिनांक : 12.07.2024

वाद वादी दिनांक 07-06-2024 को प्राथमिक रूप से डिक्री किया जाकर तहसीलदार नवलगढ़ को मोक़ा कमीशनर नियुक्त किया गया एवं मुताबिक निर्णय पक्षकारान की मौजूदगी में कब्जे काशत के अनुसार विभाजन प्रस्ताव तैयार कर पालना प्रस्तुत करने बाबत आदेशित किया गया। तहसीलदार नवलगढ़ द्वारा विभाजन प्रस्ताव जरिये पालना रिपोर्ट पत्रांक भू.अ./2023/2327 दिनांक 08.06.2024 प्रस्तुत करने पर बहस विभाजन प्रस्ताव पर वकील उभय वादी सुनी गई। मुताबिक विभाजन प्रस्ताव वादी अधिवक्ता द्वारा सहमति जाहिर की गई। फलस्वरूप वाद वादी डिक्री किया जाना न्यायोचित प्रतीत होता। पत्रावली का अवलोकन किया गया। मुताबिक विभाजन प्रस्ताव वाद वादी स्वीकार किया जाता है।

उक्त वाद वादी मुताबिक विभाजन प्रस्ताव स्वीकार किया जाता है। विभाजन प्रस्ताव निर्णय का भाग रहेगा। राजस्थान ग्राम बलवन्तपुरा की सरहद में कृषि भूमि खाता संख्या 169 के अन्तर्गत खसरा नम्बर 660

रकबा 1.1600 हैक्टर तथा भूमि खाता संख्या 168 के अन्तर्गत भूमि खसरा नम्बर 662 रकबा 3.2000 हैक्टर, खसरा नम्बर 903/664 रकबा 1.1100 हैक्टर, खसरा नम्बर 959/669 रकबा 0.1300 हैक्टर कुल किता 03 कुल रकबा 4.4400 हैक्टर का निम्न प्रकार खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है :-

क्र.सं.	नाम घोषित खातेदार	खसरा नम्बर	रकबा ( हैक्टर में )	भूमि किस्म
1	उमेश कुमार मोर पुत्र स्व. श्री नन्दलाल जाति महाजन निवासी नवलगढ़ हाल आबाद मकान नम्बर 28 न्यू इण्डिया हाऊसिंग सोसायटी 11, एन.एस. रोड जेवीपीडी स्कीम मुम्बई को खातेदार काश्तकार	660/1	0.58	बारानी I
		662/1	1.64725	बारानी I
		2	2.22725	बारानी I
2	प्रदीप कुमार पुत्र स्व. श्री राधाकिशन मोर जाति महाजन निवासी 38ए गरचा फस्ट लेन कोलकाता हिस्सा 1/3, रमेश कुमार पुत्र स्व. राधाकिशन मोर जाति महाजन निवासी 118, नेशनल सोसायटी बनेर रोड अनुध पूणे हिस्सा 1/3, आदित्य मोर पुत्र स्व. मोहन कुमार मोर जाति महाजन निवासी 38ए गरचा फस्ट लेन कोलकाता हिस्सा 1/9, अश्वनी मोर पुत्र स्व. मोहन कुमार मोर जाति महाजन निवासी 38ए गरचा फस्ट लेन कोलकाता हिस्सा 1/9, चित्रा मोर पत्नी स्व. मोहन कुमार मोर जाति महाजन निवासी 38ए गरचा फस्टलेन कोलकाता हिस्सा 1/9 खातेदार काश्तकार	660/2	0.58	बारानी I
		662/2	1.55275	बारानी I
		959/669/1	0.0945	बारानी I
3	भगवाना पुत्र चन्द्राराम हिस्सा 5727/11455, लादूराम पुत्र चन्द्राराम हिस्सा 5728/11455 जाति माली साकिन देह खातेदार काश्तकार	903/664	1.11	बारानी I
		959/669/2	0.0355	बारानी I
		2	1.1455	बारानी I

तहसीलदार नवलगढ़ को आदेशित किया जाता है कि मुताबिक निर्णय राजस्व रिकार्ड में दुरुस्त कर राजस्थान लैण्ड रेकार्ड रूल्स 1957 के नियम 62 के अनुरूप बटा नम्बर को संशोधित कर अमल दरामद किया जाये। तदनुसार पर्चा डिक्री जारी हो। उक्त निर्णय से यदि पक्षकारान् संतुष्ट नहीं है तो पक्षकारान् अपीलीय न्यायालय में अपील दायर करने हेतु स्वतंत्र रहेगा। पत्रावली फैसल सुमार होकर नम्बर से कम हो तथा बाद तकमील कार्यवाही जाप्ता दाखिल दफ्तर हो। निर्णय आज दिनांक 12.07.2024 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(जयसिंह)

उपस्थान्त अधिकारी  
नवलगढ़ जिला झुन्डुनू

( ओ 20 रूल्स 6-7 जाप्ता दिवानी )  
**अज अदालत उपखण्ड अधिकारी नवलगढ़ जिला झुन्झुनू**  
**मुकाम बईजलास जयसिंह (आर.ए.एस.)**

दावा : इस्तकरारहक, दुरुस्ती रिकॉर्ड,  
विधिवत विभाजन व स्थाई निषेधाज्ञा

मुकदमा सं०:- 196/2022

( उमेश कुमार बनाम प्रदीप कुमार आदि )

**अन्तिम डिक्री**

यह मुकदमा आज वारते इफिसला कतई रूबरू जयसिंह (आर.ए.एस.), उपखण्ड अधिकारी नवलगढ़ बहाजिरी, वकील वादी मनजानिव मुद्दई रूबरू वकील प्रतिवादीगण मनजानिव- मुद्दालय पेश होकर हुकम दिया जाता है व डिक्री दी जाती है।

निर्णय दिनांक 12.07.2024 निर्णय वाद वादी मुताबिक विभाजन प्रस्ताव स्वीकार किया जाता है। विभाजन प्रस्ताव निर्णय का भाग रहेगा। राजस्व ग्राम बलवतन्तपुरा की सरहद में कृषि भूमि खाता संख्या 169 के अन्तर्गत खसरा नम्बर 660 रकबा 1.1600 हैक्टर तथा भूमि खाता संख्या 168 के अन्तर्गत भूमि खसरा नम्बर 662 रकबा 3.2000 हैक्टर, खसरा नम्बर 903/664 रकबा 1.1100 हैक्टर, खसरा नम्बर 959/669 रकबा 0.1300 हैक्टर कुल किता 03 कुल रकबा 4.4400 हैक्टर का निम्न प्रकार खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है :-

क्र.सं.	नाम घोषित खातेदार	खसरा नम्बर	रकबा ( हैक्टर में )	भूमि किस्म
1	उमेश कुमार मोर पुत्र स्व. श्री नन्दलाल जाति महाजन निवासी नवलगढ़ हाल आबाद मकान नम्बर 28 न्यू इण्डिया हाऊसिंग सोसायटी 11, एन.एस. रोड जेवीपीडी स्कीम मुम्बई को खातेदार काश्तकार	660/1	0.58	बारानी I
		662/1	1.64725	बारानी I
		2	2.22725	बारानी I
2	प्रदीप कुमार पुत्र स्व. श्री राधाकिशन मोर जाति महाजन निवासी 38ए गरचा फस्ट लेन कोलकाता हिस्सा 1/3, रमेश कुमार पुत्र स्व. राधाकिशन मोर जाति महाजन निवासी 118, नेशनल सोसायटी बनेर रोड अनुध पूणे हिस्सा 1/3, आदित्य मोर पुत्र स्व. मोहन कुमार मोर जाति महाजन निवासी 38ए गरचा फस्ट लेन कोलकाता हिस्सा 1/9, अश्वनी मोर पुत्र स्व. मोहन कुमार मोर जाति महाजन निवासी 38ए गरचा फस्ट लेन कोलकाता हिस्सा 1/9, चित्रा मोर पत्नी स्व. मोहन कुमार मोर जाति महाजन निवासी 38ए गरचा फस्टलेन कोलकाता हिस्सा 1/9 खातेदार काश्तकार	660/2	0.58	बारानी I
		662/2	1.55275	बारानी I
		959/669/1	0.0945	बारानी I
3		3	2.22725	बारानी I
3	भगवाना पुत्र चन्द्राराम हिस्सा 5727/11455, लादूराम पुत्र चन्द्राराम हिस्सा 5728/11455 जाति माली साकिन देह खातेदार काश्तकार	903/664	1.11	बारानी I
		959/669/2	0.0355	बारानी I
		2	1.1455	बारानी I

तहसीलदार नवलगढ़ को आदेशित किया जाता है कि मुताबिक निर्णय राजस्व रिकार्ड में दुरुस्त कर राजस्थान लेण्ड रेकार्ड रूल्स 1957 के नियम 62 के अनुरूप बटा नम्बर को संशोधित कर अमल दरामद किया जावे।

बशाख मेरे दस्तखत व मुहर अदालत से आज तारीख 12.07.2024 को जारी की गई।

(जयसिंह)  
**उपखण्ड अधिकारी**  
**नवलगढ़**